

इसे वेबसाईट www.govt_pressmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 82]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 23 फरवरी 2021—फाल्गुन 4, शक 1942

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 फरवरी 2021

क्र. एफ-ए-3-31-2020-1-पांच(11).—राज्य सरकार, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 168क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ ए 3-31-2020-1-पांच(67), दिनांक 05 दिसम्बर, 2020 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना के पहले अनुच्छेद के खंड (i) के परंतुक में,—

- (i) “नवम्बर, 2020 के 29वें” अंक और शब्दों के स्थान पर “मार्च, 2021 के 30वें” अंक और शब्द रखे जाएंगे।
- (ii) “नवम्बर, 2020 के 30वें” अंक और शब्दों के स्थान पर “मार्च, 2021 के 31वें” अंक और शब्द रखे जाएंगे।

2. इस अधिसूचना को दिसम्बर, 2020 के पहले दिन से लागू माना जाएगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव।

भोपाल, दिनांक 23 फरवरी 2021

क्र. एफ-ए-3-31-2020-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ ए-3-31-2020-1-पांच(11), दिनांक 23 फरवरी, 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव।

Bhopal, the 23rd February 2021

No. F A 3-31-2020-1-V(11).—In exercise of the powers conferred by Section 168A of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendment in this department's notification no. F-A-3-31-2020-1-V(67), dated 05th December, 2020, namely:—

In the said notification, in the first paragraph, in the proviso to clause (i),—

- (i) for the words, figures and letters “29th day of November, 2020”, the words, figures and letters “30th day of March, 2021” shall be substituted.
- (ii) for the words, figures and letters “30th day of November, 2020”, the words, figures and letters “31st day of March, 2021” shall be substituted.

2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from 1st day of December, 2020.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. P. SHRIVASTAVA, Dy. Secy.